न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कवंर
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 80 / 2020
बिमला बनाम चावली आदि

प्रार्थना पत्र : विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट प्रार्थी –श्री सुरेन्द्र भर्रा
ऐडवोकेट अप्रार्थीः– श्री तेजपाल सिंह दूत

आदेश

दिनांक 10.02.2023

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अं. आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. का इस कदर प्रस्तुत किया कि उनवानी प्रकरण बिमला बनाम चावली में सुनवाई की तारीख पेशी दिनांक 26.05.2022 नियत थी। प्रार्थी जयपुर में पुलिस विभाग में सेवावृत है। प्रार्थी अन्य दिगर कार्य में व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हो सका तथा न ही अधिवक्ता को सुचना दे सका। जिस कारण वादी या प्रार्थी का दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो गया है। प्रार्थी उपरोक्त उनवानी दावा को आगे चलाने मे रूचि रखती है। प्रार्थी ने न्यायालय में न्याय मिलने के लिए न्यायालय में दावा पेश किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अं0 आ0 9 नियम 4 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर उपरोक्त उनवानी दावा को पुनः नम्बर पर लिया जावे।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी का दावा दिनांक 26.05.2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रार्थीया राजकीय सेवा में होने पर दीगर कार्य में व्यस्त थी इसलिए प्रार्थीया न्यायालय में नही आ सकी। प्रार्थीया अपने दावे की पैरवी करना चाहती है। प्रार्थीया का दावा दिनांक 26.05.2022 को खारिज हो चुका उसे पुनः नम्बर पर लेकर विधिवत रूप से कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना पत्र दावे को रिस्टोर करवाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का दावा रिस्टोर करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का दावा दिनांक 26.05.2022 को अदम हाजरी व पैरवी में खारिज हो चुका जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थीया राजकीय सेवा में होने पर दीगर कार्य में व्यस्त थी इसलिए प्रार्थीया न्यायालय में नही आ सकी। प्रार्थीया अपने दावे की पैरवी करना चाहती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी को बिना सुने उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया जाना उचित नही है तथा उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा का दिनांक 26.05.2022 को पारित आदेश अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दावे को खारिज किया गया, को अपास्त किया जाता है तथा मूल दावे को पुनः नम्बर पर लिया जाकर रिस्टोर करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र बाद फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ हमफिता किया जावे। निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:54 IST
Reason: SelfAttested